संख्या- 06/2019/2428/33-2-2019-174जी/2018

प्रेषक,

डॉ0 रमा शंकर मौर्य,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
समस्त जिला पंचायतें,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 अगस्त, 2019

विषय :जिला पंचायतों के स्वामित्व के आवासीय भवनों/अतिथिगृहों के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जिला पंचायतों के स्वामित्वाधीन आवासीय भवनों/अतिथि गृहों को किसी गैर सरकारी व्यक्ति/संस्था को अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकतम् 07 दिनों हेतु अपर मुख्य अधिकारी, 07 दिन से अधिक तथा 01 माह से कम अवधि हेतु जिलाधिकारी एवं 01 माह से अधिक अवधि हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 27 जनवरी, 1992 में दी गई व्यवस्थानुसार शासन स्तर से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही आवंटित किया जाए।

2- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

डॉ रमा शंकर मौर्य
विशेष सचिव।

संख्या: 06/2019/2428(1)/33-2-2019, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उततर प्रदेश ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अवधेश कुमार खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in